



बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

ल.अं./46/एस.एल.बी.सी./दिसम्बर 2019/213

06.04.2020

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय/ महोदया,

विषय: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की दिसम्बर 2019 की समीक्षा बैठक- Agenda By Circulation का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही हेतु **Agenda By Circulation** बैठक का आयोजन दिनांक 30.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की वेबसाइट www.slbcup.com पर अपलोड कर दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार अगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(बलबीर सिंह लुथरा)

उप महाप्रबंधक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

"अपनी भाषाओं को बनाएं कारोबार की भाषा"

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, लखनऊ अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी-23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Lucknow Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010

फोन / Phone : 6677607 (GM), 6677609 (Sectt.), 6677722 (DGM), 6677721, 6677694 (DEPTT.)

ई-मेल / E-mail : slbc.up@bankofbaroda.co.in वेबसाइट / Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की दिसम्बर 2019 तिमाही की बैठक
दिनांक 30.03.2020 का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की प्रत्येक त्रैमासांत की बैठक आगामी त्रैमास के अंत तक नियमित रूप से आयोजित किये जाने का प्रावधान है। तदनुसार दिसम्बर 2019 त्रैमास की बैठक 31.03.2020 तक किया जाना अनिवार्य था।

वर्तमान समय में हमारे देश के कई प्रदेशों के साथ साथ विश्व के कई देशों में “Novel coronavirus disease (COVID-19)” के दिनों दिन बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए इसके संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिसके अंतर्गत सामूहिक सभाओं व बैठकों से यथासम्भव बचने हेतु सलाह दी गयी है।

उक्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिसम्बर 2019 त्रैमास की समीक्षा बैठक भौतिक रूप से न करते हुए सभी सदस्यों को बैठक की एजेण्डा पुस्तिका ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर (Agenda by Circulation) बैठक की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु प्रस्तावित किया गया ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का पालन करते हुए इस महामारी के संक्रमण की सम्भावना को कम किया जा सके। इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा पत्रांक एस.एल.बी.सी. 7745/20-2019/ दिनांक 17.03.2020 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ई-मेल दिनांक 18.03.2020 के माध्यम से अपनी सहमति प्रदान की गयी। (छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्तानुसार बैठक के एजेण्डा को हमारे पत्रांक ल.अं./46/एस.एल.बी.सी./170 दिनांक 19.03.2020 के माध्यम से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समस्त सदस्यों को इस अनुरोध सहित प्रेषित किया गया था कि विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर उनके सुझाव/संशोधन से दिनांक 30.03.2020 तक हमारे कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से साझा कर दें ताकि उन्हें बैठक के कार्यवृत्त में समाहित करने के साथ-साथ आगामी बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर किसी भी बैंक/ विभाग/ संस्था द्वारा सुझाव या संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः समस्त एजेण्डा बिन्दुओं को अनुमोदित माना जाता है तथा दिसम्बर 2019 त्रैमासान्त की समीक्षा बैठक दिनांक 30.03.2020 को तकनीकी रूप से सम्पन्न मानी जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही में मुख्य बिन्दु निम्नवत है :

- वार्षिक ऋण योजना 2019-20 में लक्ष्य ₹ 256388.99 करोड़ के सापेक्ष उपलब्धि ₹ 158911.38 करोड़ (61.98%) रही है जिसमें एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य ₹ 51808.81 करोड़ को प्राप्त करते हुए ₹ 60817.79 करोड़ (117.39%) की उपलब्धि दर्ज की गयी है।
- कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य ₹ 170201.06 करोड़ के सापेक्ष ₹ 87155.04 करोड़ (51.21%) की उपलब्धि रही है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत में अच्छी प्रगति दर्ज करते हुए आवंटित लक्ष्य ₹ 19534.34 करोड़ के सापेक्ष समीक्षा के दौरान 43.12 लाख खातों में कुल ₹ 21088.86 करोड़ (107.96%) की उपलब्धि हासिल की गयी है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 30.12.2019 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि
Confirmation of Minutes of Last SLBC Meeting dated 30.12.2019

सितम्बर 2019 त्रैमासांत की बैठक दिनांक 31.12.2019 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त सभी सदस्यों को एस.एल.बी.सी. के पत्रांक ल.ख/46/सितम्बर 2019/64 दिनांक 22.01.2020 के माध्यम से प्रेषित किये गये थे, जिसकी पुष्टि की गयी। उक्त कार्यवृत्त में कोई संशोधन या सुझाव प्राप्त नहीं हुए।



राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 30.12.2019 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

Action Taken Report of Last SLBS Meeting Dated 30.12.2019

1. वसूली प्रमाण पत्रों तथा सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जारी नोटिसों के सापेक्ष जिलाधिकारियों को प्रेषित आवेदन पत्रों के समयानुसार निस्तारण से सम्बन्धित :

Recovery under RC filed cases & permission/ possession of properties in SARFAESI cases filed by the Banks

सभी सम्बन्धित को एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से अवगत कराया गया कि इन दोनों मामलों से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। यद्यपि सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन से अच्छे परिणाम परिलक्षित हुए हैं तथापि यथानुसार निर्देशों की पुनः आवश्यकता है। दिनांक 07.02.2020 को सम्बन्धित विषयक एस.एल.बी.सी. की उपसमिति की बैठक इलाहाबाद बैंक के संयोजन में आयोजित की गयी जिसमें सभी बैंकर्स से अनुरोध दोहराया गया कि वे राजस्व परिषद से सम्बन्धित प्रकरणों हेतु विभाग से निरंतर सम्पर्क बनाये रखें।

2. किसान क्रेडिट कार्ड अभियान:

Kisan Credit Card Campaign:

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No. 1-20/2018- Credit- I (Part) दिनांक 04.02.2019 द्वारा समस्त किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करने के उद्देश्य से अभियान की शुरुआत की गयी। इस अभियान हेतु हमारे प्रदेश को -25- लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस क्रम में समस्त बैंकों के समन्वित प्रयास से दिनांक 31.03.2020 तक 26.29 लाख नये के.सी.सी. जारी किये जा चुके हैं। समस्त सदस्य बैंकों के समन्वित प्रयासों से लक्ष्यों को हासिल किया गया है।

3. प्रदेश में डिजिटल जनपद को चिन्हित करना :

Identification of Digital District in the State:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र RBI/2019-20/79 FIDD.CO. LBS.BC. No.13/02.01.001/ 2019-20 दिनांक 07.10.2019 के क्रम में 1 वर्ष के भीतर डिजिटल ट्रांजेक्शन से जनपद को संतृप्त करने के उद्देश्य से हमारे प्रदेश में दो जनपदों यथा फिरोजाबाद तथा सिद्धार्थनगर जहाँ भारतीय स्टेट बैंक अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है, को डिजिटल जनपद के रूप में चयनित किया गया है। उक्त प्रकरण पर केनरा बैंक के संयोजन में गठित उपसमिति की बैठक का आयोजन दिनांक 03.02.2020 को किया गया। जनपद सिद्धार्थनगर हेतु बैंकवार लक्ष्यों का आवंटन किया जा चुका है। अग्रणी बैंक से अनुरोध है कि जनपद फिरोजाबाद हेतु बैंकवार लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए एस.एल.बी.सी. को अतिशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। समस्त बैंकों से अनुरोध है कि लक्ष्यों को हासिल करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक एवं समस्त बैंक)

4. प्रधानमंत्री आवास योजना :

Pradhan Mantri Awas Yojana:

एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से समस्त सम्बन्धित को अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत दिसम्बर' 2019 त्रैमास तक 64,761 खातों में ऋण वितरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

5. सुविधाजनक ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न स्तरों पर ऋण शिविर का आयोजन :

Organizing Credit Camp to provide hassle free credit facilities at different level:

प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर यथा शाखा/जनपद स्तर पर सभी व्यक्तियों को सुविधाजनक ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु नियमित रूप से ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।



कार्यसूची संख्या 1

वित्तीय समावेशन पहल की समीक्षा, बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार और वित्तीय साक्षरता

Review of financial inclusion initiatives, expansion of banking network and Financial Literacy

(क) बैंकरहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट एवं बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में सीबीएस (यूआरसी), इनेबल्ड बैंकिंग आउटलेट खोलने की स्थिति

Status of opening of banking outlets in unbanked villages, CBS-enabled banking outlets at the Unbanked Rural Centres (URCs)

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा DBT GIS पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के -74- सम्भावित गाँवों की सूची उपलब्ध करायी गयी थी जिसमें -5- किमी के दायरे में बैंकिंग आउटलेट चिन्हित नहीं थे। सभी बैंकों के समंवित प्रयास से अभी तक -64- गाँवों में मौजूद CBS Enabled बैंकिंग आउटलेट की सूचना DBT GIS पोर्टल पर अपलोड करायी जा चुकी है। सभी सम्बन्धित बैंकों से अनुरोध है कि शेष -10- केन्द्रों की सूचना अतिशीघ्र पोर्टल पर अद्यतन करने का कष्ट करें।

(कार्यवाही : इलाहाबाद बैंक (2 केन्द्र), भारतीय स्टेट बैंक (2 केन्द्र), पंजाब नेशनल बैंक (3 केन्द्र), काशी गोमती ग्रामीण बैंक (1 केन्द्र), यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (1 केन्द्र))

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

1. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी. एम. जे. डी. वाई.) (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY))

योजनांतर्गत लगभग 6.04 करोड़ खाते (रु 20315.57 करोड़) खोलते हुए हमारा प्रदेश भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है। जिसमें से 4.65 करोड़ खातों (81.53%) में आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Beema Yojana) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) (Pradhan Mantri Suraksha Beema Yojana)

इन दोनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में 31.12.2019 तक कुल 2.97 करोड़ लोगों को जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 31.12.2019 तक क्रमशः -24,238- व -5,279- दावों के सापेक्ष क्रमशः -22,286- एवं -3,895- का निस्तारण किया जा चुका है। बैंकों से अनुरोध है कि अधिकाधिक लोगों को योजनांतर्गत जोड़े जाने का प्रयास किया जाए।

3. अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) (Atal Pension Yojana (APY))

योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 31.12.2019 तक कुल 8,03,688 नये लोगों को जोड़ने के साथ प्रदेश में अब तक 30,55,615 लोगों को जोड़ा जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक नामांकन हेतु भारत सरकार द्वारा एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

4. वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति -2019-24 (National Strategy for Financial Inclusion (NFSI)-2019-24)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2019-24 के लिए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति जारी की गयी है जिसके अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के समस्त अर्ह लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कवर किया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा ई-मेल दिनांक 18.03.2020 के माध्यम से दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं जिसकी सूचना से सभी सम्बन्धित को एजेण्डा नम्बर 1 के Annexure 6 के माध्यम से अवगत कराया गया है। सभी सम्बन्धित से अनुरोध है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)



6. सम्भावनाशील जनपद (Aspirational Districts)

सम्भावनाशील जनपदों में वित्तीय समावेशन हेतु बैंकिंग सम्बन्धित -6- मानक निर्धारित किये गये हैं। अद्यतन स्थिति से समस्त सम्बन्धित को एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। इन जनपदों में निहित मानकों में निर्धारित स्तर तक प्रगति पहुँचाने हेतु जनपद स्तर पर सभी सम्बन्धित से समन्वय स्थापित करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

(कार्यवाही : अग्रणी बैंक - भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा)

(ख) बैंक मित्रों के संचालन की समीक्षा - बाधाएँ एवं मुद्दे

(Review of Operations of Business Correspondents – hurdles/issues involved)

अवगत कराना है कि फीनो पेमेंट बैंक के -17572- बैंक मित्र प्वाइंट खुलने के साथ प्रदेश में कुल बैंक मित्रों की संख्या -62,394- हो गयी है जिनके द्वारा वित्तीय सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त निष्क्रिय बैंक मित्रों को सक्रिय करने व नए बैंक मित्रों की नियुक्ति की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

(ग) डिजिटल बैंकिंग – प्रदेश में डिजिटल मोड से भुगतान में वृद्धि, कनेक्टिविटी समस्याएँ आदि

Digital Banking- Progress in increasing digital modes of payment in the State, provision of continuous connectivity

बैंकों द्वारा दिसम्बर 2019 तक कुल 134.87 करोड़ ट्रांजेक्शनस किये जा चुके हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा -2- जनपदों यथा सिद्धार्थनगर (सम्भावनाशील जनपद) एवं फिरोजाबाद को 1 वर्ष में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से संतृप्त करने के उद्देश्य से चिन्हित किया गया है। इस हेतु केनरा बैंक के समन्वय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की गठित उपसमिति की प्रथम बैठक दिनांक 03.02.2020 को सम्पन्न की जा चुकी है जिसके कार्यवृत्त सभी सदस्यों को सम्बन्धित बैंक द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

(घ) प्रत्यक्ष बेनिफिट स्थानांतरण के रोलआउट, आधार सीडिंग एवं अधिप्रमाणन की स्थिति

Status of rollout of Direct Benefit Transfer in the State, Aadhaar seeding and authentication

अद्यतन स्थिति से समस्त सम्बन्धित को एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

(ङ) वित्तीय साक्षरता - स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को शामिल करने की समीक्षा, बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता पहल (विशेष रूप से डिजिटल वित्तीय साक्षरता)

Review of inclusion of Financial Education in the School Curriculum, financial literacy initiatives by banks (particularly digital financial literacy)

अद्यतन स्थिति से समस्त सम्बन्धित को एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में समस्त जनपदों में दिनांक 10 – 15 फरवरी 2020 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की समस्त शाखाओं द्वारा एम.एस.एम.ई. पर विशेष जोर दिया गया।

(च) विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी, सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, फसल बीमा, नवीकरणीय ऊर्जा

Creating awareness about various schemes, subsidies, facilities e.g. crop insurance, renewable energy

सभी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड व सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है जिसकी सूचना से एजेण्डा के माध्यम से समस्त को अवगत कराया गया है।



(छ) आपूर्ति श्रृंखला में सभी हितधारकों को शामिल करने वाली परियोजनाओं के अंत तक प्रयासों की समीक्षा
Review of efforts towards end to end projects involving all stakeholders in the supply chain

सभी बैंकों व अन्य हितधारकों द्वारा सहयोग अपेक्षित है।

कार्यसूची संख्या 2

बैंकों द्वारा क्रेडिट वितरण की समीक्षा (Review of credit disbursement by Banks)

(क) प्रदेश की वार्षिक ऋण योजना 2019-20 एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्धि
Achievement under ACP 2019-20 of the State and Priority Sector Lending

प्रदेश में वार्षिक लक्ष्य रु 256388.99 करोड़ के सापेक्ष उपलब्धि रु 158911.38 करोड़ (61.98%) रही है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रु 87155.04 करोड़ (51.21%) की उपलब्धि रही है। साथ ही एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य रु 51808.81 करोड़ के सापेक्ष रु 60817.79 करोड़ (117.39%) की उपलब्धि दर्ज की गयी है। अग्रणी बैंको द्वारा अपने अग्रणी जनपदों की सघन समीक्षा आवश्यक है क्योंकि समान परिस्थितियों में बैंको द्वारा अर्जित उपलब्धियों में ज्यादा अंतर नहीं रहना चाहिए।
वार्षिक ऋण योजना 2020-21 को तैयार करने हेतु सभी अग्रणी बैंको द्वारा इस क्रम में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अन्य कृषि व्यवसाय सम्बन्धित योजनाएँ (Other Agri Business Related Schemes)

1. भारत के पूर्वी प्रदेशों में भारत सरकार द्वारा संचालित हरित क्रांति योजना के अंतर्गत कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा/ ऋण जमा अनुपात
(BGREI/ Credit Deposit Ratio)

हरित क्रांति योजना के अंतर्गत कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा हेतु उपसमिति का संयोजक बैंक ऑफ इण्डिया को बनाया गया है जिसकी दिसम्बर 2019 तिमाही की बैठक दिनांक 11.02.2020 को आयोजित की जा चुकी है।

2. एग्रीक्लीनिक/ एग्रीबिजनेस केन्द्र (Agriclinic/ Agribusiness Centres)

अद्यतन प्रगति से समस्त सम्बन्धित को एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। योजनान्तर्गत बैंकों का अपेक्षित सहयोग आवश्यक है।

3. ग्रामीण भंडारण हेतु कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना (Agriculture Marketing Infrastructure)

इस योजना की महत्ता के दृष्टिगत सभी बैंको द्वारा सक्रिय सहयोग व सहभागिता आवश्यक है ताकि प्रदेश की जनता को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। नवीन दिशा-निर्देशानुसार यह योजना 22.10.2018 से 31.03.2020 तक लागू रहेगी।

(ख) सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रवाह एवं इन योजनाओं का प्रभाव

Discussion on lending under Government Sponsored Schemes and their impact

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission-NRLM)

योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित कुल लक्ष्य -68,665- के सापेक्ष -22,464- स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषण किया गया। समस्त बैंको से अनुरोध है कि योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण शीघ्र किया जाये।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihood Mission- NULM)

अद्यतन प्रगति से समस्त सम्बन्धित को एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।



प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Pradhan Mantri Employment Generation Programme- PMEGP)

पी.एम.ई.जी.पी. निदेशालय, एम.एस.एम.ई. विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 22.10.2019 से www.kviconline.gov.in/pmegp; www.kvic.org.in; www.kvicudyami.org.in पोर्टल पर लॉगिन कर अथवा udyami ऐप ऑनलाइन द्वारा ई.डी.पी. प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदान की गयी है। समस्त बैंको से अनुरोध है कि योजनांतर्गत लम्बित समस्त प्रकरणों का अतिशीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक; यू.पी.एस.आर.एल.एम.)

पं दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (Pandit Deen Dayal Upadhyaya Swarojgar Yojana)

योजना की प्रगति से समस्त को अवगत कराया जा चुका है। नोडल एजेंसी से अनुरोध है कि योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु विकसित किये जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल को जल्द से जल्द संचालित किया जाये ताकि योजना की प्रभावी समीक्षा सभी स्तरों से की जा सके।

(कार्यवाही : अनुसूचित वित्त विकास विभाग, उ.प्र.)

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (Mukhya Mantri Gramodyog Rojgar Yojana)

बैंको द्वारा योजनांतर्गत ब्याज उपादान की राशि नोडल एजेंसी से प्राप्त न हो सकने / पुनर्भुगतान न हो सकने के कारण बड़ी संख्या में ऋण खाते गैर निष्पादक आस्तियों (एन.पी.ए.) में तब्दील हो रहे हैं अतः नोडल एजेंसी द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Mukhya Mantri Yuva Swarojgar Yojana)

अद्यतन प्रगति से समस्त सम्बन्धित को एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना (Vishwakarma Shram Samman Yojana)

योजना के दिशा- निर्देशों से समस्त बैंको को एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता (Credit facilities to Minority Communities)

आलोच्य अवधि तक पूरे प्रदेश में बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों के क्रमशः 20,28,365 (रु 48054.09 करोड़) तथा 1036980 (रु 18819.65 करोड़) व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana – PMMY)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल आवंटित लक्ष्य रु 19534.34 करोड़ के सापेक्ष समीक्षा अवधि के दौरान कुल 43.12 लाख खातों में रु. 21088.86 करोड़ (107.96%) की धनराशि वितरित की जा चुकी है।

हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बुनकर समुदाय हेतु Revival, Reform & Restructuring Package का क्रियांवयन – प्रधानमंत्री

हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Weavers Mudra Scheme)

योजना की समीक्षा सिंडिकेट बैंक के समंवय में गठित उप-समिति द्वारा दिनांक 19.02.2020 को की गयी। समिति द्वारा विभिन्न बैंकों में लम्बित आवेदन पत्रों के अविलम्ब निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही साथ योजना में प्रगति लाने के उद्देश्य से नोडल एजेंसी से सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

स्टैंड अप इण्डिया योजना (Stand Up India Scheme)

योजनान्तर्गत प्रदेश के लिए आवंटित कुल लक्ष्य -32,514- के सापेक्ष ऋण स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही क्रमशः -10,813- एवं -8,730- मामलों में की जा चुकी है। यद्यपि योजनांतर्गत हमारा प्रदेश भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है, बैंकों द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सघन प्रयासों की आवश्यकता है।



एक जनपद एक उत्पाद योजना (One District One Product)

प्रदेश सरकार द्वारा “एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु लागू की गयी ओ.डी.ओ.पी. मार्जिन मनी योजना” हेतु आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ओ.डी.ओ.पी. प्रकोष्ठ), उ.प्र., लखनऊ द्वारा प्राप्त वित्तीय वर्ष 2019-20 के जनपदवार लक्ष्यों से सभी सम्बन्धित को एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत कराया जा चुका है। बैंकों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक सहयोग अपेक्षित है। प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि योजनांतर्गत प्रगति की बैंकवार प्रगति त्रैमासिक आधार पर प्रदान करने का कष्ट करें जिससे योजना की प्रभावी समीक्षा की जा सके।

(कार्यवाही : एम.एस.एम.ई. विभाग, उ.प्र.)

(ग) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों और किफायती आवास को अग्रिम

Flow of credit to MSMEs and for affordable housing

समस्त सदस्यों को योजनांतर्गत प्रगति से अवगत कराया जा चुका है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (सी.एल.एस.एस.) (Pradhan Mantri Awas Yojana- Urban (CLSS))

योजना के सफल क्रियांवयन हेतु बैंकों के स्तर से सघन प्रयासों की आवश्यकता है। समस्त सम्बन्धित से अनुरोध है कि योजना के व्यापक प्रचार प्रसार व योजना के अंतर्गत संतोषजनक प्रगति हेतु अपनी शाखाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से समस्त सदस्यों को योजनांतर्गत प्रगति से अवगत कराया गया है।

(घ) किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियांवयन

Implementation of Kisan Credit Card & Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana

किसान क्रेडिट कार्ड/फसली ऋण :

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No. 1-20/2018- Credit- I (Part) दिनांक 04.02.2019 द्वारा समस्त किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करने के उद्देश्य से अभियान की शुरुआत की गयी। इस अभियान हेतु हमारे प्रदेश को -25- लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस क्रम में समस्त बैंकों के समन्वित प्रयास से दिनांक 31.03.2020 तक 26.29 लाख नये के.सी.सी. जारी किये जा चुके हैं। प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंक को समन्वित प्रयासों से लक्ष्यों को हासिल किया गया है।

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पी.एम. किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करने के उद्देश्य से दिनांक 08.02.2020 से 29.02.2020 तक एक अभियान की शुरुआत की गयी है। अभियान के दौरान प्रदेश में समस्त बैंकों द्वारा कुल 10.71 लाख नये के.सी.सी. जारी किये गये। समस्त कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से संतृप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस अभियान को 30.04.2020 तक बढ़ाया गया है।

फसली ऋण हेतु सीजन एवं पुर्नभुगतान अवधि का निर्धारण:

- एस.एल.बी.सी. को फसली ऋण हेतु सीजन एवं पुर्नभुगतान अवधि के निर्धारण के सम्बन्ध में विभिन्न बैंकों से सन्दर्भ प्राप्त हो रहे थे। उक्त सन्दर्भ में योजनांतर्गत बैंक ऑफ इण्डिया के समन्वय में गठित एस.एल.बी.सी. की उप समिति की बैठक में एजेण्डा के माध्यम से विस्तृत चर्चा की गयी।
- भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र संख्या RBI/2017-18/4 FIDD.Co.FSD. BC No. 7/05.05.010/2017-18 दिनांक 03.07.2017 के Point No. 10.1 के अनुसार ऋण की पुर्नभुगतान अवधि बैंक द्वारा निर्धारित किये जाने का प्राविधान है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या RBI/2015-16/101 DBRNo.BP.BC.2/21.04.048/2015-16 दिनांक 01.07.2015 के Point No 4.2.13 के अनुसार फसलों की समय सीमा का निर्धारण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इसी



क्रम में बैंक ऑफ इण्डिया के संयोजन में गठित एस.एल.बी.सी. की उपसमिति की बैठक का आयोजन दिनांक 11.02.2020 को किया गया जिसमें प्रदेश में उगाई जा रही फसलों के सीजन के निर्धारण हेतु समस्त सदस्यों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं संस्थागत वित्त महानिदेशालय के प्रतिनिधि द्वारा विस्तृत चर्चा करते हुए फसली सीजन को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जोकि निम्नवत है:

- ❖ लघु अवधि की फसल
- ❖ दीर्घ अवधि की फसल

- तत्पश्चात उप समिति में लिये गये निर्णयों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की स्टीयरिंग सब कमिटी की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया जिस पर सभी सदस्यों के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं संस्थागत वित्त महानिदेशालय के प्रतिनिधि द्वारा सहमति प्रदान की गयी। तत्पश्चात उप समिति में लिये गये निर्णयों को एस.एल.बी.सी. की दिसम्बर 2019 की एजेण्डा पुस्तिका में समाहित करते हुए समस्त सम्बन्धित को उनके सुझाव अथवा संशोधन से दिनांक 30.03.2020 तक अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। अवगत कराना है कि निर्धारित तिथि तक उक्त प्रकरण पर कोई भी सुझाव अथवा संशोधन प्राप्त नहीं हुए है। अतः उपरोक्त कार्यबिन्दु को समिति द्वारा स्वीकृत मानते हुए प्रदेश में फसली ऋण हेतु सीजन एवं पुर्नभुगतान अवधि को लागू किया जाता है।
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की – Agenda By Circulation बैठक में योजनांतर्गत गठित उपसमिति की बैठक एवं स्टीयरिंग सब कमिटी की बैठक में लिये गये निर्णयों के आधार पर प्रदेश में लघु एवं दीर्घ फसलों हेतु प्रदान किये जा रहे फसली ऋण की पुर्नभुगतान अवधि का निर्धारण निम्नवत किया गया है :

S.No.	Particulars	Short Duration Crop	Long Duration Crop
1.	Crop	Paddy, Maize, Pigeon Pea, Millets, Moong Peas, Wheat, Bengal Gram, Green Peas, Mustard, Lentil and other Kharif & Rabi Crops etc.	Sugarcane
2.	Cropping Period	6 Months	12 Months
3.	Marketing Period	6 Months	6 Months
4.	Total Cropping Season	12 Months	18 Months
5.	IRAC Norms for NPA Classification as per RBI Master Circular	A Loan granted for short duration Crops will be treated as NPA, if the instalment of Principle or interest thereon remains overdue for two Crop Seasons.	A Loan granted for Long duration Crops will be treated as NPA, if the instalment of Principle or interest thereon remains overdue for One Crop Seasons.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र संख्या 13015/02/2015- Credit – II दिनांक 28.02.2020 द्वारा ऋणी कृषको को अनिवार्य रूप से योजना के अंतर्गत आच्छादित करने के प्राविधान में बदलाव करते हुए समस्त कृषको को इस योजना में खरीफ 2020 सीजन (अप्रैल 2020) से ऐच्छिक रूप से सम्मिलित होने का विकल्प प्रदान किया गया है। सभी हितधारको से अनुरोध है कि योजना का संचालन भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक; कृषि विभाग, उ.प्र. एवं इश्योरेंस कम्पनी)

(ड) शिक्षा ऋण (Grant of Education Loans)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिसम्बर 2019 तक सभी बैंकों द्वारा कुल -26,652- विद्यार्थियों को रु. 586.76 करोड़ की धनराशि वितरित की गयी है।



(च) स्वयं सहायता समूह (Progress under SHG-bank linkage)

नाबार्ड द्वारा ई- शक्ति प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में -8- जनपद तथा द्वितीय चरण में प्रदेश के -20- जनपदों का चयन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया है। स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज से सम्बन्धित दस्तावेजीकरण पर स्टैम्प ड्यूटी में छूट हेतु लम्बित प्रकरण प्रदेश शासन स्तर पर पुनर्विचार हेतु आवश्यक है।

योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा एस.एल.बी.सी. की उपसमिति की बैठक दिनांक 29.01.2020 को सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के समन्वय में की जा चुकी है।

संयुक्त देयता समूह (Joint Liability Group)

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु समीक्षा अवधि के दौरान संयुक्त देयता समूह योजनांतर्गत -3,88,119- नये लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है तथा योजना के प्रारम्भ से अभी तक यह संख्या -8,93,807- रही है।

किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organization)

प्राप्त आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल -88- पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन कार्यरत है जिसमें कुल -55,936- कृषकों को संगठित किया गया है। विषयांतर्गत दिनांक 05.03.2020 को नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा आयोजित बैठक में वृहद रूप से चर्चा की गयी।

कार्यसूची संख्या 3

2022 तक किसानों की आय का दोगुना (Doubling of Farmers' Income by 2022)

नाबार्ड द्वारा इस विषय पर अनेक प्रयास किये जा रहे हैं यथा उत्पादकता, जलसंचय एवं कृषि नीतियों में सुधार, एकीकृत कृषि प्रणाली, बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करना एवं विशेष नीतिगत उपाय/ नीतियाँ इत्यादि जिनको अपनाकर किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी।

कार्यसूची संख्या 4

ऋण जमा अनुपात, 40% से कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों की समीक्षा और डीसीसी की विशेष उप-समितियों के कामकाज CD Ratio, Review of Districts with CD Ratio below 40% and working of Special Sub-Committees of the DCC (SCC)

अवगत कराया गया कि दिसम्बर 2019 को प्रदेश में सभी वाणिज्यिक + क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण जमा अनुपात 51.41 % रहा है जो गत तिमाही की अवधि से 0.14 % की कमी दर्शाता है। अद्यतन स्थिति के अनुसार प्रदेश में -14- जनपद ऐसे हैं जिनका ऋण जमानुपात 40% से कम है। एजेण्डा के माध्यम से अवगत कराया गया कि यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के समन्वयन में गठित उपसमिति की बैठक दिनांक 17.02.2020 को आयोजित की जा चुकी है।

कार्यसूची संख्या 5

विभिन्न योजनाओं में गैर निष्पादक आस्तियों, प्रमाणपत्र मामले और गैर निष्पादक आस्तियों की वसूली की स्थिति

Position of NPAs in respect of schematic lending and Status of Recovery under Recovery Certificate (RC) filed cases and NPAs

एन.पी.ए. की वर्तमान स्थिति तथा वसूली से संबंधित आँकड़ों से समस्त सदस्यों को एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से अवगत कराया गया तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग के साथ साथ और बेहतर सहयोग का अनुरोध भी है। कृषि व प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत दिसम्बर 2019 तक क्रमशः 62.38% व 57.20% वसूली रही है। साथ ही कुल -10,83,251- वसूली प्रमाण पत्र जिनमें कुल रु 9163.60 करोड़ की धनराशि निहित है, वसूली हेतु लम्बित है। वर्ष 2019-20 के दौरान समीक्षा अवधि में इन खातों में कुल रु 319.56 करोड़ की धनराशि वसूल की गयी है।



सभी बैंको के -5,235- सरफेसी मामले प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालय में आवश्यक अनुमति हेतु लम्बित है जिनमें से -3,224- मामले -60- दिन की अवधि से अधिक समय से लम्बित है।
वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं कोऑपरेटिव बैंकों में गैर निष्पादक आस्तियों का स्तर दिसम्बर 2019 में क्रमशः 8.42%, 22.08% व 9.89% रहा है। कुल गैर निष्पादक आस्तियों का औसत स्तर 9.64% गत वर्ष की आलोच्य अवधि के सापेक्ष कम हुआ है।
(कार्यवाही : संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ.प्र.)

कार्यसूची संख्या 6

राज्य में प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिलों में ऋण के पुनर्गठन की समीक्षा, यदि कोई हो
Review of restructuring of loans in natural calamity affected districts in the State, if any

सदन को अवगत कराया गया कि समीक्षा अवधि के दौरान यह सूचना शून्य रही है।

कार्यसूची संख्या 7

केन्द्र/ राज्य सरकार /भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत पहलों पर चर्चा (औद्योगिक नीति, एमएसएमई नीति, कृषि नीति, स्टार्ट-अप पॉलिसी, आदि) और बैंकों के उम्मीद की भागीदारी
Discussion on policy initiatives of the Central/State Government/RBI (Industrial Policy, MSME Policy, Agriculture Policy, Start-Up Policy, etc.), and expected involvement of banks

जैसा कि एजेण्डा की विषय वस्तु से ही स्पष्ट है कि इस कार्य बिन्दु में राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी विभिन्न नीतियों की प्रदेश के विकास में उपयोगिता, उनके कार्यान्वयन तथा परिणामों की समीक्षा होना प्रस्तावित है। इन नीतियों के अंतर्गत सघन प्रयास कर बहुमुखी विकास प्राप्त करना ही उद्देश्य है।

कार्यसूची संख्या 8

ग्रामीण बुनियादी ढांचे / क्रेडिट अवशोषण क्षमता में सुधार पर चर्चा
Discussion on improving Rural Infrastructure/Credit Absorption Capacity

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त/उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी। साथ ही सम्बन्धित एजेंसीज से अनुरोध भी किया गया कि निम्न विषयों पर जानकारी एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:

- क. ऋण जमा अनुपात में सुधार करने में मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा कल्पना की गई कोई भी बड़ी परियोजना
- ख. राज्य-विशिष्ट संभावित विकास क्षेत्रों और भविष्य के दायरे का अन्वेषण करें - पार्टनर बैंकों का चयन करना
- ग. क्षेत्र केंद्रित अध्ययनों, यदि कोई हो, और सुझाए गए समाधानों को लागू करने के निष्कर्षों पर चर्चा
- घ. ग्रामीण और कृषि के बुनियादी ढांचे में अंतराल जब वित्तपोषण की जरूरत है (ग्रामीण गोदाम, सौर ऊर्जा, कृषि प्रसंस्करण, बागवानी, संबद्ध गतिविधियों, कृषि विपणन आदि) की पहचान
- ङ. मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 का कार्यान्वयन (संभावना की खोज)

कार्यसूची संख्या 9

कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) आदि के साथ भागीदारी मिशन मिशन पर कौशल विकास की दिशा में प्रयास आरएसटीआई के कामकाज की समीक्षा सहित

Efforts towards skill development on mission mode partnering with Krishi Vigyan Kendra (KVK), Horticulture Mission, National Skill Development Corporation, Agriculture Skill Council of India (ASCI), etc. including a review of functioning of RSETIs

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त/ उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी।



आरसेटी संस्थानों की स्थापना

Establishment of RSETIs

एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रदेश में कुल 75 आरसेटी संस्थान कार्यरत हैं। आरसेटी संस्थानों के क्रियाकलापों तथा प्रगति समीक्षा हेतु पंजाब नेशनल बैंक के समंवय में एस.एल.बी.सी. की एक उपसमिति गठित है जिसकी गत बैठक दिनांक 13.02.2020 को सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की गयी। प्रदेश के -4- जनपदों यथा बान्दा, रामपुर, प्रयागराज तथा चन्दौली में आरसेटी हेतु लम्बित है। अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा भवन निर्माण हेतु अंतिम तिथि 30.06.2020 निर्धारित की गयी है। पंजाब नेशनल बैंक से अनुरोध है कि उक्त लम्बित प्रकरणों हेतु नोडल एजेंसी से सम्पर्क स्थापित करते हुए भूमि आवंटन की प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण करने का कष्ट करें।

(कार्यवाही : संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ.प्र.; यू.पी.एस.आर.एल.एम.; ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र.)

कार्यसूची संख्या 10

भूमि रिकॉर्ड में सुधार के लिए कदम उठाए गए, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में प्रगति और निर्बाध ऋण वितरण
Steps taken for improving land record, progress in digitization of land records and seamless loan
disbursements.

एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से उक्त विषय पर राज्य सरकार के स्तर से विस्तृत स्थिति, डाटा एवं कार्यबिन्दु उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही बैंको के स्तर पर ऑनलाइन सूचना प्रदान करने व भूमि के प्रभार के पंजीकरण ऑनलाइन कराने आदि हेतु भी अनुरोध है।

कार्यसूची संख्या 11

जिला स्तर पर सफलता की कहानियों और नई पहलों को साझा करना जिन्हें अन्य जिलों या राज्य में दोहराया जा सकता है
Sharing of success stories and new initiatives at the district level that can be replicated in other districts or
across the State

एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से प्राप्त/ उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या 12

बाजार खुफिया मुद्दों पर चर्चा

Discussion on Market Intelligence Issues

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त/ उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी। साथ ही सम्बन्धित एजेंसी से अनुरोध भी किया गया कि इस विषय में उपलब्ध जानकारी एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(क) पौजी योजनाएं/ असंगठित निकायों/ फर्मों/ कंपनियों की अवैध गतिविधियां जनता से जमा की मांग

(ख) बैंकिंग संबंधित साइबर धोखाधड़ी, फिशिंग, आदि

(ग) क्षेत्र में उधार संस्थाओं, ऋणात्मकता के मामलों के द्वारा उदार गतिविधियों के उदाहरण

(घ) उधारकर्ता समूहों, आदि द्वारा क्रेडिट से संबंधित धोखाधड़ी



बैंकों से सम्बन्धित अपराधिक मामले

Banking Related Criminal cases

बैंको से प्राप्त -4- अपराधिक मामले एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से प्रेषित किये गये। इस मामले में पुलिस विभाग से अद्यतन जानकारी प्रदान करने हेतु अनुरोध है।

कार्यसूची संख्या 13

डीसीसी / डीएलआरसी बैठक में अनसुलझे मुद्दे शेष

Issues remaining unresolved at DCC/DLRC Meetings

एजेण्डा पुस्तिका के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से प्राप्त/ उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी। सम्बन्धित एजेंसी से अनुरोध है कि इस विषय में उपलब्ध जानकारी एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कार्यसूची संख्या 14

एसएलबीसी बैठक के अनुसूची का पालन करते हुए बैंक द्वारा समय पर डेटा जमा करना

Timely submission of data by Banks, adhering to the schedule of SLBC Meetings

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार समस्त बैंकों व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा त्रैमासिक सूचना के ससंमय व व्यवस्थित प्रेषण हेतु एक प्रणाली विकसित की जानी है। इस सॉफ्टवेयर पर बैंकों द्वारा अपने प्रधान/ कॉर्पोरेट स्तर पर ब्लॉक स्तर की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर डाउनलोड कर अपने प्रदेश स्तरीय कार्यालयों को प्रदान की जाएगी। तत्क्रम में व सूचना समस्त बैंकों द्वारा एस.एल.बी.सी. के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

उक्त हेतु एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों से प्राप्त ब्लॉक का नाम/ कोड, जनपद का नाम/ कोड आदि की संकलित सूची भारतीय रिजर्व बैंक व समस्त बैंकों को शाखाओं की मैपिंग के अनुरोध सहित प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही समस्त बैंक से नये प्रणाली पर विस्थापित करने हेतु स्थिति से 31.03.2020 तक अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया था। बैंकों से पुनः अनुरोध है कि वस्तुस्थिति से हमें अवगत कराने का कष्ट करें।

कार्यसूची संख्या 15

अध्यक्ष की अनुमति के साथ कोई अन्य वस्तु

Any other issue, with the permission of the Chair

सभी सदस्य बैंको, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सक्रिय सहयोग एवं प्रतिक्रिया के फलस्वरूप राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिसम्बर 2019 तिमाही की Agenda By Circulation बैठक का आयोजन सम्भव हो पाया है जिसके लिये हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं तथा आशा करते हैं कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समस्त सदस्यों का सहयोग हमें इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा जिससे आने वाले समय में हम प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाने में सक्षम होंगे।

